१९९५ के ड़ाकटरी इलाज और शमन उपचार के कानून के अनुसार
(Consent to Medical Treatment and Palliative Care Act 1995)

नकारी

यह एक ऐसा कानून है जिसे सौऊथ आस्ट्रेलिया में १९९५ में मान्यता मिली । इस के अनुसार इलाज के लिए आप के अधिकार और इलाज के बारे में स्पष्टत: आप के ड़ाकटर द्वारा सम्झाया जायेगा ।

- यदि आप अपना इलाज नहीं करवाना चाहते तो आप इन्कार कर सकते हेन
- यदि आप अपना निर्णय लेने योग्य नहीं हैं तो आप अपने लिए किसी दूसरे ब्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं।
- यदि आप समापनीय बिमार (terminally ill) हैं और आगामी निर्णय लेने योग्य नहीं हैं तो आप अपना फैसला लिख कर भी दे सकते हैं कि आप को कैसा इलाज चाहिए या कैसा इलाज नहीं चाहिए ।
- ऐसा करने के लिए आप की आयु १८ या इस से ऊपर होनी चाहिए ।

आप का प्रतिनिधित्त्व कौन कर सकता है?

आप का चुना हुआ ब्यक्ति मैड़िकल एजैंट कहायेगा और जो अधिकार आप ने उस को सौंपे हैं बे 'मैड़िकल पावर उाफ अटोरनी' कही जाएगी ।

प्राय: इस का चयन अपने किसी निकट सम्बंधी, अच्छा मित्र या अपना बच्चा जिस की उम्र १८ या उस से ऊपर हो करना चाहिए ।

चयन कीया ब्यक्ति बह स्बास्थ-अधिकारी नहीं होना चाहिए जो आप की सेवा के लिए शुल्क पर नियुक्त किया गया है।

एक से उधिक भी मैड़िकल एजैंटस आप चुन सकते हैं परन्तु एक समय में एक ही ब्यक्ति काम करेगा ।

मैड़िकल एजैंटस इलाज की स्वीकृति या इन्कार कर सकते है परन्तु:

- आप के लिए भोजन और पानी से इन्कार नहीं ।
- पीड़ा कम करने बाली औषधि से इन्कार नहीं ।
- ऐसा उपचार जो आप को अपना निर्णय लेने में सक्षम कर रहा हो ।

आप अपना मैड़िकल एजैंट कैसे चयन कर सकते हैं?

आप को 'मैड़िकल पावर आफ अटोरनी' का फार्म भरना पड़ेगा । यह फार्म आप को अपने ड़ाकटर से मिल सकता है अन्यथा उन संस्थाओ से जिन की सूचि साथ बाले पन्ने पर दी गई हैं ।

ध्यान रहे यह सारी बातें आप अपने होने बाले मैड़िकल एजैंट/ एजैंटों से कर लें ।

क्या आप मैड़िकल एजैंट की बजाय लिख कर अपनी इच्छायें प्रकट कर सकते हैं?

जी हां, ऐसा करने के लिए आप को **एंटिसीपेटोरी ड़ारेकशन** फार्म भरना होगा ।

आप लिख कर रख सकते हैं कि आप को किस प्रकार का या किस प्रकार का नहीं इलाज चाहिए ता कि यदि ऐसा हो की आप की समापनीय बिमारी के अन्तिम चरण में जब मानसिक शक्ति सब नाश हो गई हो और आप इस असहाय अबस्था में हों परन्तु आप के स्बाँस और पाचन ठीक हों तब यह सहायक हो सकता है।

आप को सुझाब दिया जाता है कि आप अपने सम्बंधी या अपने ड़ाकटर से सलाह कर लें ऐसी असहाय अबस्था में इन लोगों को पता होगा कि आप ने अपनी इच्छाओं को लिख कर रखा है कि आप क्या चाहते हैं ।

अधिकृत गवाह के हस्ताक्षर इन पत्रों पर होना जरूरी है।

यदि आप चाहें तो क्या आप यह बदल सकते हैं?

यदि आप ने **मैड़िकल एजैंट** या **एंटिसीपेटोरी ड़ारेकशन** नियुक्त कीया है तो कभी भी इस को रद कर सकते हैं ।

आप और आप का नियुक्त **मैड़िकल एजैंट** आप की नई इच्छाओं के पत्रों पर हस्ताक्षर और तिथि डाल कर बदल सकते है और पुराने पत्रों को नष्ट कर देना चाहिए।

स्वस्थ्य बिभाग के कर्मचारियो को कैसे पता चले कि आप ने मैड़िकल एजैंट नियुक्त कीया है या एंटिसीपेटोरी ड़ारेकशन भरा हैं?

आप मूल प्रति किसी सुरक्षा जगह पर रखें और एक एक नकल अपने ड़ाकटर अपने करीबी सम्बंधी को दें और एक अपने बटुए में रखें ।

आप **मैड़िकल अर्लट** के साथ सम्बंध रखने का चयन भी कर सकते हैं मैड़िकल अर्लट आप को अपने मैड़िकल एजेंट ओर **एंटिसीपेटोरी ड़ारेकशन** का पता रखने में सहायक होगी ।

HINDI

बिमारी के इलाज और शमन सहायता कानून १९९५ के अधीन जानकारी

(An explanation of the Consent to Medical Treatment and Palliative Care Act 1995)

आप की अपनी बिमारी के इलाज के विषय में कहने का पूरा अधिकार है ।

चाहे हम अपने जीवन से कितना भी पयार करें और कितने भी स्वस्थ रहें परन्तु मृत्यु एक दिन निश्चित है ।

हम में से बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि वे किस प्रकार से अपने अन्तिम दिनों में अपना योगदान दे सकें और हम जानना चाहते हैं कि हमारे इलाज में हमारे अधिकार क्या हैं।

कानून के अनुसार निश्चय से हमारे अधिकार भी हैं और ड़ाकट्रों के फर्ज भी ।

बहुत से यह अधिकार और फर्ज **बिमारी के इलाज और शमन सहायता के १९९५ के अधीन जानकारी** के अन्तर्गत आते हैं । (Consent to Medical Treatment and Palliative Care Act 1995).

अधिक जानकारी और याचिका

आप, आप का ड़ाकट्र या दूसरे सभी लोग जिन से आप एस बिष्य में जानकारी लेते हैं नीचे लिखे पते पर दोनो फाम हासिल कर सकते हैं

दी पैलियेटिव केयर कौंसल आफ सौऊथ आस्ट्रेलिया
(The Palliative Care Council of South Australia)
२०२ गरीनहिल रोड़ इसटबुड़
फोन: (०८) ८२९१ ४१३७
www.pallcare.asn.au

ड़ीपार्टमैंट आफ हैलथ
(Department of Health)
सिटिसैंटर बिलड़िंग, ११ हाइंड़मारष सुकेयर
एड़िलेड़
www.health.sa.gov.au/consent

सर्विस एस०ए०
(Service SA)
फोन: १३२३२४
www.service.sa.gov.au

आफिस ओफ दी पब्लिक एड़वोकेट
(Office of the Public Advocate)
ए बी सी बिलड़िंग
८५ नोर्थ इस्ट रोड़ कौलिंजवुड़
फोन: (०८) ८२६९ ७५७५
मुफत फोन: १८०० ०६६ ९६९
www.opa.sa.gov.au

रजिस्ट्रेशन आफ मैड़िकल एजिंटस एंड़ एंटिसीपेटोरी ड़ारेकशनज: आस्ट्रेलियन मैड़िक अलर्ट फौंड़ेशन
(Registration of Medical Agents and Anticipatory Directions: Australian Medic Alert Foundation)
२१६ ग्रीनहिल रोड़ इस्टबुड़
फोन: (०८) ८२७४ ०३६१
मुफत फोन: १८०० ८८२ २२२

यह उपरोक्त कानून सभी बिषयो पर सम्पूर्णत: जानकारी नहीं देता केवल प्राथिमिक रूप में ही प्रयोग करें ।

संशोदित जनवरी २००६